राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 477 मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 6/8/19

प्रति,

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा **O.A. No. 606/2018** में समय–समय पर पारित आदेश के परिपालन में गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की अंतिम रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भः— सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 4035/तक./मु./छ.ग.प.सं.मं/2019, अटल नगर, दिनांक 02.08.2019।

———00———

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— यथोपरि

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 6/8/19

पृ.क्रः— 478/मि.स./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचानर्थ संप्रेषित।

6/8/2019
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

अंतिम राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की अंतिम रिपोर्ट निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी

बिन्दू क्रमांक – 06

ग्राम पंचायतों में SLRM सेंटर की स्थिति धन का उपयोग + कार्ययोजना + समय–सीमा।

SLRM Centre की स्थितिः–

- अभी तक 65 ग्राम पंचायतों में SLRM Centre का निर्माण हो चुका है, जिनकी कुल अनुमानित क्षमता 18.0 TPD है। 17.4 TPD पुर्नचक्रीकृत कचरा इस SLRM केन्द्रों में संग्रहित होता है, जिसका पृथ्थकरण करने के पश्चात् कबाड़ीवाले को बेचा जाता है।
- 17.4 TPD का 5% कचरा (0.8 TPD) अक्रिय कचरा लैंडफिलसाइट पर भेजा जाना प्रस्तावित किया गया है।

धन का उपयोगः–

(1) रू. 315.64 लाख वर्ष 2017–18 में।
(2) रू. 711.70 लाख वर्ष 2018–19 में।
(3) रू. 39.79 लाख 2019–20 में।

अद्यतन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधि पर राशि रू. 1,145.34 लाख का उपयोग हुआ है।

कार्ययोजना एवं समयसीमाः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े कचरे एवं गन्दे पानी के निपटारे हेतु राज्य स्तरीय नीति निर्माण किया गया है। उक्त कार्य योजना में मुख्य रूप से घरों एवं संस्थानों से निकलने वाले कूड़े–कचरे एवं गन्दे पानी का निपटारा स्त्रोत के स्तर ही किया जाने एवं शेष अपशिष्टों का निपटारा सामुदायिक स्तर पर किये जाने पर बल दिया गया है।
- अपशिष्ट के निपटारे हेतु बायोडिग्रेडेबल (गीला कचरा) एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल (सूखा कचरे) कचरों को पृथक–पृथक करते हुए बायोडिग्रेडेबल को बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित एवं विभिन्न प्रकार के खाद गढ्ढों के माध्यम से जैव उर्वरक में परिवार/सामुदायिक स्तर पर परिवर्तित किये जाने की कार्य योजना है।
- बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का निपटारा घरेलु स्तर पर ही खाद बनाने हेतु किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

- घरो मे केवल नान बायोडिग्रेडेबल कचरे को स्वसहायता समूह द्वारा एकत्रित किया जायेगा। नॉन बायोडिग्रेबल कचरे का पुनःउपयोग, पुन चक्रण एवं शेष कचरे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित तरीके से निपटान किया जायेगा।
- राज्य मे कुल 10978 ग्राम पंचायत है। इस वर्ष की कार्यान्वयन योजना मे 2703 ग्राम पचायतो को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लक्षित किया गया है। शेष ग्राम पचायतो को आगामी वर्षो मे ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन करने हेतु निम्न लिखित रूप से लक्षित किया गया है–

समयसीमाः–

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य (ग्राम पंचायत)	उपचारित कचरे की मात्रा
1	2019–20	2703	1965 TPD
2	2020–2021	2500	1800 TPD
3	2021–2022	2500	1800 TPD
4	2022–2023	2500	1800 TPD
5	2023–2024	726	500 TPD

इस वर्ष 2019–20 में 2703 ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जायेगा। इस वर्ष की माहवार कार्ययोजना **परिशिष्ट 01** में संलग्न है।

बिन्दू क्रमांक – 19

चयनित मॉडल ग्राम पंचायतों की क्रियान्वयन योजना/कार्य योजनाः–

- राज्य की 81 ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।
- अधिसूचित ग्राम पंचायतों में अभी तक 81 DPR का निर्माण 73 DPR स्वीकृत व 66 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अधिसूचित ग्राम पंचायतों की कार्य योजना **परिशिष्ट 02** तथा अधिसूचित ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक प्रगति **परिशिष्ट 03** में संलग्न है।

Scanned by CamScanner